भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं 4123

(दिनांक 07.04.2022 को उत्तर देने के लिए)

पुरानी पेंशन योजना पर विधि कार्य विभाग की टिप्पणियां

4123 श्री राम नाथ ठाकुर:
चौधरी सुखराम सिंह यादव:
श्री नीरज शेखर:
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

क्या *प्रधानमंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि कार्य विभाग (डीएलए) ने दिनांक 24/11/2021 के नोट के माध्यम से उन कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर रखने और पुरानी पेंशन योजना में कवर करने के लिए अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01/01/2004 से पहले जारी हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 08/10/2021 और विधि कार्य विभाग की दिनांक 24/11/2021 की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में समान रूप से नियोजित कर्मचारियों के लिए सामान्य आदेश जारी करने के लिए की गई कार्रवाई/निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग और विधि कार्य विभाग से फिर से टिप्पणियां मांगने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टिप्पणियों के लिए विचारार्थ विषय क्या हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01/01/2004 के बाद पूरी हुई थी, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के खिलाफ भारत संघ द्वारा दर्ज की गई कुछ एसएलपी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के मद्देनजर उक्त मामले को वित्तीय सेवाएं विभाग और विधि कार्य विभाग को संदर्भित किया गया है।

विधि कार्य विभाग ने दिनांक 24/11/2021 के अपने नोट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:-

"ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दिनांक 01/01/2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए समान पदस्थ सरकारी सेवकों को उन पदों के सापेक्ष जिन पर उनकी नियुक्ति हुई थी, के लिए विज्ञापन या अधिसूचना की तारीख एनपीएस की अधिसूचना से पूर्व होने के आधार पर सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के हितलाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को लागू करने के लिए हमारी सलाह मांग रहा है। यह कि न्यायिक मंच द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना या यदि मंत्रालय/विभाग को जारी किए गए निर्देश मंत्रालय/विभाग की नीतियों के विरुद्ध हैं तो न्यायिक मंच द्वारा जारी किए गए निर्देशों को उच्च न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देना मंत्रालय/विभाग का एकमात्र विवेकाधिकार है। यह कि यदि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में अंतिम रूप ले चुका है तो मंत्रालय/विभाग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत अवमानना का सामना करना पड़ सकता है।"

इस संबंध में सामान्य आदेश जारी करने के लिए विधि कार्य विभाग से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु यह मामला उन्हें पुन: संदर्भित किया गया है।

******